— 1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/112

मुकदमा नम्बर 23/2024

दर्ज दिनांक– 01.03.2024

1. मूलाराम पुत्र बंशीधर जाति भार्गव निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ जिला झुंझुंनू
2. भोला राम पुत्र श्री बंशीधर जाति भार्गव निवासी परसरामपुरा
3. मुकेश पुत्र श्री महावीर जाति भार्गव निवासी परसरामपुरा

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ

–अनावेदक

वकील आवेदक : – स्वंय

वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: निर्णय दिनांक 18.06.2024

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम परसरामपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा की तन में भूमि खाता सं. नया 367 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 3949/2762 रकबा 0.42 है0, खसरा नं. 3951/2764 रकबा 0.33 है0, खसरा नं. 3953/2754 रकबा 0.16 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.91 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी सं. 1 का सही नाम मूला राम पुत्र बंशीधर, प्रार्थी नं. 2 का नाम भोला राम पुत्र बंशीधर व प्रार्थी न. 3 का नाम मुकेश पुत्र महावीर प्रसाद दर्ज किया जावे।

अनावेदक तहसीलदार नवलगढ की और से जरिये पैरो. राज. रिपोर्ट क्रमांक 1546 दिनांक 15/05/2024 पेश हुई। जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा अपने प्रा. पत्र में चाहा गया संशोधन किया जाना उचित है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। तहसीलदार नवलगढ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित है।

लिहाजा तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट से इत्तिफाक रखते हुये यह न्यायालय आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्वीकार करता है तथा, ग्राम परसरामपुरा पटवार हल्का परसरामपुरा की तन में भूमि खाता सं. नया 367 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 3949/2762 रकबा 0.42 है0, खसरा नं. 3951/2764 रकबा 0.33 है0, खसरा नं. 3953/2754 रकबा 0.16 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.91 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी सं. 1 का सही नाम मूला राम पुत्र बंशीधर, प्रार्थी नं. 2 का नाम भोला राम पुत्र बंशीधर व प्रार्थी नं. 3 का नाम मुकेश पुत्र महावीर प्रसाद दर्ज व दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ द्वारं प्रस्तुत रिपोर्ट उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

जिला–झुंझुंनू

Scanned with CamScanner